छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918920

परिपत्र क्र.– 02/2018/रेरा   रायपुर, दिनांकः 03/03/2018

–परिपत्र–

विषय :– रजिस्ट्रेशन हेतु समय–सीमा निर्धारित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश।

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को, चालू व नवीन प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है । इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा 9 अंतर्गत प्रत्येक रियल एस्टेट एजेन्ट को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है ।

अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 25 व धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा चालू व नवीन प्रोजेक्ट्स तथा रियल एस्टेट एजेन्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु, प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 31 मई 2018 तक की समय–सीमा नियत की जाती है ।

उक्त नियत समय–सीमा के भीतर प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत न करने की दशा में संबंधितों पर, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 59 और धारा 62 के प्रावधान आकर्षित होंगे।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

03/03/18

(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned by CamScanner